

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

:: आदेशिका ::

परिवाद संख्या—2026 / 17 /

दिनांक—07.10.2026

एकलपीठ

समक्ष:— माननीय अध्यक्ष जस्टिस श्री जी.आर. मूलचन्दानी

जयपुर के मुहाना पुलिस थाने में 05 अक्टूबर को युवक की मौत के संबंध में दिनांक 06 अक्टूबर को समाचार पत्रों से प्राप्त सूचना के प्रसंग में आयोग द्वारा घटना का प्रसंज्ञान लेकर, अग्रलिखित आदेश पारित किया गया है :—

“1. प्रायः कार्यपालिका का गठन कानून व्यवस्था के सुचारु संचालन एवं नियंत्रण हेतु होता है और इस आशय का प्रमुख दायित्व, पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों का रहता है।

2. आज के समाचार पत्रों में दो विरोधाभासी समाचार प्रकाशित हुए हैं, एक तो विधिक प्रावधानों के अनुकूल है और दूसरा विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल।

3. महिला कॉन्स्टेबल की जनसेवा के दीक्षांत समारोह के अवसर पर राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित समारोह के दौरान महानिदेशक पुलिस, श्री राजीव कुमार शर्मा ने सभी पुलिसबलों को यह संदेश दिया कि “ वे थानों को दफ्तर नहीं अपितु सेवा केन्द्र बनायें और इस आयोजन में कुछ योग्य कुशाग्र कॉन्स्टेबलों को सम्मानित भी किया गया।

विपरीत प्रकृति का समाचार यह है कि पुलिस थाना मुहाना पर कथितरूपेण रितुराज नामक ठगी के आरोपी के साथ कथितरूपेण मारपीट की गयी और वह चिकित्सारत रहकर वेंटीलेटर पर रहा और उसकी मृत्यु हो गयी।

4. दैनिक भास्कर समाचार का शीर्षक यह रहा है कि “पन्द्रह दिन से भर्ती रितुराज की मौत, मुहाना पुलिस पर मारपीट का आरोप, परिजनों ने पोस्टमार्टम से किया इनकार...परिजन बोले—पुलिस ने होटल—थाने में पीटा, अस्पताल ले गई पुलिस का दावा, होटल में हुयी मारपीट, हमारे पास फुटेज”

सच बेधड़क समाचार का शीर्षक यह रहा है कि “ मुहाना थाने में बिगड़ी युवक की तबीयत, इलाज के दौरान मौत...माँ ने लगाए गंभीर आरोप ”

राजस्थान पत्रिका समाचार का शीर्षक यह रहा है कि " मुहाना थाने में तबीयत बिगड़ी, अब मौत....परिजन का आरोप—मारपीट हुई.....मृतक को मंदसौर का निवासी बताया गया है"

इन समाचार पत्रों में पुलिस का यह स्पष्टीकरण भी प्रकाशित हुआ है कि रितुराज के साथ पुलिस ने कोई मारपीट नहीं की गयी और उनके अनुसार मारपीट होटल में हुयी है, जिसकी सी.सी.टी.वी. फुटेज उपलब्ध हैं।

5. विधि के शासन के चलते किसी बंदी के साथ कोई मारपीट कदापि नहीं की जा सकती और समाचारों की प्रकृति कथितरूपेण पुलिस के अविधिक आचरण को इंगित करती है।

6. विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों के माध्यम से न्यायालयों द्वारा इस विषय में विभिन्न अवसरों पर कठोर आदेश पारित करते हुए, दोषी के विरुद्ध प्राथमिकी अंकित कराने एवं समुचित कार्यवाही करने के साथ ही, क्षतिपूर्ति प्रदान करने संबंधी आदेश भी पारित किये गये हैं।

7. अभिरक्षा में आरोपी की मृत्यु होने के विषय में समय—समय पर दुःखद समाचार प्रकाशित होते हैं और आयोग द्वारा ऐसे कई प्रकरणों में संज्ञान भी लिया गया है।

विषय गंभीर है, 1. पुलिस आयुक्त, जयपुर महानगर, 2. जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर, 3. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (मानवाधिकार), जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे सम्बंधित समय के मुहाना पुलिस थाने के सी.सी.टी.वी. फुटेज की रिकॉर्डिंग को सुरक्षित करते हुए, इसे सीलबंद अवस्था में रखते हुए, इसकी साक्ष्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही घटना के विषय की तथ्यात्मक रिपोर्ट अविलम्ब आयोग को प्रस्तुत करें तथा स्वयं के स्तर पर भी सम्यक एवं प्रभावी अनुसंधान किसी आई.पी.एस. स्तर के अधिकारी से, कराके विषय की तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग के समक्ष अविलम्ब प्रेषित करें।

संबंधित को तुरंत नोटिस जारी हो।

पत्रावली वास्ते देखने अनुपालना रिपोर्ट/सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.2026 को सुबह 11:00 बजे पेश हो। "

आज दिनांक 07.10.2026 को जयपुर के समाचार पत्र दैनिक भास्कर के अंक में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि "अवैध कस्टडी में युवक को टॉर्चर किया, दिमाग में चोट से मौत...पुलिस ही अस्पताल ले गयी, झूठ छिपाने को 10 एंटीवेनम इंजेक्शन लगवाये....96 हजार बिल भी भरा" और इसमें यह भी अंकित है कि "सांप डसने की कहानी भी रची, जाँच में एक भी निशान नहीं मिले"

इस समाचार में यह झूठ छिपाने वाला समाचार भी प्रकाशित हुआ है कि घटना के दो चश्मदीद साक्षियों की ओर से यह बताया गया है कि मृतक को उनके सामने पुलिस थाना मुहाना के पुलिसकर्मियों द्वारा पीटा गया एवं सिर पकड़ कर दीवार से दे मारा।

समाचार पत्रों में साक्षियों के बारे में छपे समाचारों एवं सांप के डसने की कहानी के विषय को देखते हुए, प्रकरण के अनुसंधान/जाँच को आयोग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के माध्यम से समानंतर रूपेण कराना उचित पाते हुए, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के महानिरीक्षक पुलिस, श्री हिंगलाजदान एवं राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, डॉ. संध्या यादव को निर्देशित किया जाता है कि वे घटना के संबंध में स्वयं के स्तर पर भी, दैनिक भास्कर में छपी खबर के अनुसार साक्षियों की साक्ष्य एवं दोनों ही चिकित्सालयों के डॉक्टरों की साक्ष्य लेकर, पीडित युवक की बी.एच.टी. संबंधी सभी प्रलेखों की प्रतिलिपि वहाँ के प्रभारी से प्रमाणित-प्रति में प्राप्त करके, सम्यक जाँच करके, इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग के समक्ष नियत तिथि को अलग से पेश करें तथा जाँच को त्वरित स्तर पर प्रतिदिन आधार पर आयोग के आदेश के समयांतर्गत करने का यत्न करें तथा पुलिस थाना मुहाना से प्रश्नगत दिवस से एक सप्ताह पूर्व से लेकर, घटना की तिथि तक की सी.सी.टी.वी. फुटेज की रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव में प्राप्त करें।

पत्रावली रिपोर्ट के साथ पूर्व नियत तिथि दिनांक 23.10.2026 को सुबह 11:00 बजे पेश हो।

(जस्टिस जी.आर. मूलचन्दानी)
अध्यक्ष